फाइल नं0-71-1001(003)/4/2022

61/2022/1/157541/2022

प्रेषक,

आलोक कुमार,
प्रमुख सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण,
उ0प्र0 लखनऊ।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-1 लखनऊः दिनॉक 20 अप्रैल, 2022

विषयः- प्राईवेट प्रैक्टिस पर अंकुश लगाये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर अवगत कराना है कि शासनादेश संख्या-5774-से014/पांच-323-83, दिनांक 30.08.1983 के द्वारा उ0प्र0 सरकारी डाक्टर (एलौपैथिक) प्राइवेट प्रैक्टिस पर निर्बन्धन नियमावली, 1983 के द्वारा राजकीय मेडिकल कालेजों में कार्यरत चिकित्सा शिक्षकगण के प्राईवेट प्रैक्टिस पर प्रतिबन्ध लगाया गया है किन्तु प्रायः समाचार पत्रों/मीडिया आदि में खबर प्रकाशित होती रहती है कि मेडिकल कालेजों के चिकित्सा शिक्षकगण द्वारा प्राईवेट प्रैक्टिस की जा रही है, जिससे शासन एवं मेडिकल कालेजों की छवि धूमिल होती है।

2- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राजकीय मेडिकल कालेजों में कार्यरत चिकित्सा शिक्षकगण के प्राईवेट प्रैक्टिस पर पूर्णरूप से अंकुश लगाया जाय। मेडिकल कालेजों में कार्यरत समस्त चिकित्सा शिक्षकगण से इस आशय का एक प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाय कि वे किसी भी प्रकार से प्राईवेट प्रैक्टिस में संलिप्त नही है। यदि किसी चिकित्सा शिक्षकगण की प्राईवेट प्रैक्टिस में संलिप्तता पायी जाती है, तो उसके विरूद्ध कठोर कार्यवाही की जायेगी।

3- मुझे यह भी कहने का निदेश हुआ है कि समस्त प्रधानाचार्य, राजकीय मेडिकल कालेजों द्वारा इस आशय का प्रमाण पत्र उपलब्ध कराया जाय कि उनके अधीनस्थ कार्यरत कोई भी संकाय सदस्य द्वारा प्राईवेट प्रैक्टिस में संलिप्त नही है।

कृपया तद्नुसार यथावश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(आलोक कुमार)
प्रमुख सचिव।

संख्या-उपरोक्त तददिनांक।

प्रतिलिपि महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

आज्ञा से,

(एस0 पी0 सिंह)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in